ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-9* october- 2017
Innovation The Research Concept

स्वयं सहायता समूह का ग्रामीण आर्थिकी में योगदान

प्रशान्त कुमार सिंह
एसोशिएट प्रोफेसर एंव
विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय स्ना. महाविद्यालय,
नई टिहरी

अनुराधा बिष्ट
शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय स्ना. महाविद्यालय,
नई टिहरी

सारांश

भारत गांवो का देश है और इसका सम्पूर्ण विकास तभी सम्भव है जब हमारे गांव आत्मनिर्भर स्थिति में आ जायेंगे। हमारी केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस हेतु विभिन्न योजनाएं निरन्तर चलायी जा रही है, किन्तु फिर भी स्वतंत्रता के 70 वर्ष पश्चात भी हम आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था का निर्माण करने में समर्थ नहीं हो पाये है। इसी प्रयास में अब केन्द्र व राज्य सरकारें वर्तमान ग्रामीण परिस्थतियों को देखते हुए नवीन योजनाओ के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वयं सहायता समूह की संकल्पना की आवश्यकता को स्वीकार करते है और इसीलिए अब अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकाधिक स्वयं सहायता समूहों के निर्माण का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में इसके सुपरिणाम नजर भी आने लगे है। इसने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को एक नवीन दिशा प्रदान की है। इस शोध पत्र में हमने जनपद देहरादून के रायपुर खण्ड के कुछ ग्रामों का अध्ययन कर स्वयं सहायता समूह की संकल्पना के द्वारा ग्रामीण व्यवस्था मे आ रहे परिवर्तन को समझने का प्रयास किया है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि यदि इस संकल्पना को और अधिक वृहद स्वरूप प्रदान किया जायेगा तो इसके परिणाम और अधिक लाभकारी होंगे ।

मुख्य शब्द : स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण, आर्थिक परिवर्तन।

प्रस्तावना

ग्रामीण समुदाय का जो स्वरूप आज हमें दिखाई देता है वह प्रारम्भ से ऐसा ही नहीं था। प्रारम्भ से अब तक ग्रामीण सामुदायिक व्यवस्था अनेक युगों से गुजरती हुई आज यहाँ तक पहुँची है। प्राचीन ग्रामीण सामुदायिक व्यवस्था पूर्व वैदिक काल से मुगल काल तक अनेकों राजाओं व राजवंशों के अधीन होकर भी छोटे–मोटे परिवर्तनों को छोड़कर पूर्ववत् ही चलती रही। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजी शासन काल बढ़ने के साथ–साथ हमारी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था जर्जर होने लगी। अंग्रेजों द्वारा लगाये गये विभिन्न करों का सीधा प्रभाव ग्रामीण समुदाय पर पड़ा, धीरे–धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी जिससे कृषि भूमि पर भार और अधिक बढ़ने लगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक व्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित किया औद्योगिक क्रान्ति ने, अब अधिकांश कार्य जन शक्ति के स्थान पर मशीनों से होने लगा, मशीनों द्वारा निर्मित सामान सस्ते दामों में मिलने लगा फलतः लघु व कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा तथा बेरोजगारी बढ़ने लगी। स्वतंत्रता के पश्चात् सन् 1950 से भारत सरकार देश की प्रगति व उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती आ रही है तथा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास को विशेष महत्व दिया जाता रहा है, इसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये जैंसे – समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसम), ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (द्वाकरा), ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम (सिट्रा) आदि प्रमुख थे। इस प्रकार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं बनायी गई, किन्तु कुछ दशक बाद जब मूल्यांकन किया गया तो पाया गया कि सरकार द्वारा बनायी गई इन योजनाओं का ग्रामीण लोग पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे थे। तब 90 के दशक में सरकार ने इस दिशा में नवीन कदम उठाये तथा पूर्व की कमियों को दूर करते हुए नयी योजनायें बनायी, जिससे 1993 में रोजगार आश्वासन योजना, 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 1999 में स्वर्ग जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आदि प्रमुख रही। इस बार सरकार ने इस योजनाओं को सफल बनाने के लिए तथा योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी ग्रामीण जनता तक पहुँचाने का कार्य गैर सरकारी संगठनों व स्वयं सहायता

समूहों को सौंपा गया। आज ग्रामीण विकास में इन स्वयं सहायता समूहों योगदान प्रत्यक्ष देखा जा सकता है।

आगे सर्वप्रथम समझते हैं कि समूह क्या है? समान्यतः समूह से तातर्प्य है–जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्र होते है तथा जिनमें पारस्परिक सामाजिक अन्तः क्रिया होती है। इसे एकत्रीकरण समूह भी कह सकते है। अब यदि हम स्वयं सहायता समूह की बात करे तो यह समूह अन्य सामान्य समूहों से भिन्न है। अन्य शब्दों मे कहें तो स्वयं सहायता समूह 1–20 लोगों का एक ऐसा समूह है जो समाज के निम्न वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लक्ष्यों पर आधारित होता है। इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं–

स्वयं सहायता समूह : अर्थ, परिभाषा एवं विकास

स्वयं सहायता समूह अर्थात् 'अपनी मदद खुद करना' जैसा के नाम से ही ज्ञात है कि यह वह समूह है जिसके दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर एक–दूसरे के हित के विचार से एकत्र होते है तथा कुछ निर्धारित लक्ष्यो की पूर्ति हेतु पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करते हुए परस्पर क्रिया करते हैं। अन्य शब्दों मे कहें तो निम्न मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों द्वारा अपने सामाजिक विकास के लिए बनाया गया एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों द्वारा की गई छोटी–2 बचत के माध्यम से समूह के सदस्यों को आजीवका के साधनो में वृद्धि करने क लिए प्रेरित व उत्साहित करता है। स्वयं सहायता समूह को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है जिसमें कुछ इस प्रकार है –

1. "जब किसी क्षेत्र विशेष के लोग सामाजिक विकास के कार्य हेतु किसी सरकारी संस्था से सहायता की अपेक्षा किये बिना सामूहिक रूप से एकत्र होते तथा इस समूह के प्रति स्वयं के स्वामित्व की भावना रखते हैं तो ऐसे समूह को स्वयं सहायता समूह कहा जा सकता है।''
2. "जब किसी समाज के लोग अपनी समस्याओं के विकास में विचार करने लगते है तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु उनके पास क्या संसाधन है, अथवा किन बाहरी स्त्रोतो द्वारा संसाधन जुटाये जा सकते है, तथा उनका सदुपयोग कैंसे किया जा सकता है आदि बातों को ध्यान मे रखते हुए एक समूह के रूप मे एकत्र होते है तो इसे स्वयं सहायता समूह कहा जा सकता है।''
3. "ऐसे समूह का निर्माण करना जिसमे शामिल सदस्यों को इस बात का बोध प्रथम हो कि वह उनका अपना निर्मित है, और उसका स्वामित्व उनमे ही निहीत है, स्वयं सहायता समूह कहलाता है।''

अन्ततः हम कह सकते है कि स्वयं सहायता समूह का तात्पर्य –निजी व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जो स्वयं अपनी मदद सामाजिक–आर्थिक स्तर पर स्वेच्छा से करने का प्रण लेते है तथा अपने सदस्यों में छोटी–छोटी बचत की भावना उत्पन्न कर उन्हे आत्मनिर्भर बनने हेतु जागरूक करते है।

स्वयं सहायता समूह की संकल्पना का विकास

र्सवप्रथम 1975 में बांगलादेशी अर्थशास्त्री प्रो मोहम्मद यूनुस ने निम्न वर्ग के सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए छोटे– छोटे उद्यमी ,जुलाहे, रिक्शा चालक व छोटे दुकानदार आदि को संगठित कर समूह बनाकर परस्पर एक–दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। यही संकल्पना आगे चलकर भारत में स्वयं सहायता समूह के नाम से जानी गई। अब यदि हम भारत के सन्दर्भ मे बात करें तो भारत में 1984–85 में मायराड़ा (मैसूर रिहैब्लिटेशन एण्ड डेवलपमेन्ट एजेन्सी) ने गांव की गरीबी के संरचनात्मक कारणों का अध्ययन करते हुए पाया कि निर्धनता का मूल कारण ऋण पर निर्भरता है। अतः इसके निवारण के लिए मायराड़ा ने गरीबों द्वारा चलाये जाने वाली एक दूसरे तरह की ऋण व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया तथा 1985 में इस दिशा में अपना प्रयास प्रारम्भ किया। 1987 में नाबार्ड की रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ग्रांट आने तक इसे क्रेडिट मैनेजमैण्ट ग्रुप कहा गया । बाद में इसे समूह के सदस्यो द्वारा सुझाया गया नाम स्वयं सहायता समूह नाम दिया गया तथा मायराड़ा को भारत के स्वयं सहयता समूह जनक कहा जाता है

स्वयं सहायता समूह का गठन

प्रायः स्वयं सहायता समूह कि अवधारणा एक विकास प्रक्रिया है जो निम्न वर्ग के लोगों को संगठित कर उन्हे अपना विकास स्वयं करने के लिए प्रेरित करती है इस प्रकिया में आर्थिक सजातीय वर्ग के लोगों को छोटे–छोटे समूहों में बाटकर संगठित करने का प्रयास किया जाता है। समूह के सदस्य नियमित रुप से छोटी–छोटी बचतों के द्वारा अपने कोष का निर्माण करते और इस कोष के द्वारा अपने सदस्यों की आपातकालीन आवश्कताओं की पूर्ति के लिए समय–समय पर अत्यधिक निम्न दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अतः कहा जा सकता कि समूह निर्माण के माध्यम से निम्न वर्ग के लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समान्यतः एक स्वयं सहायता समूह मे 5 से लेकर 25 तक सदस्य हो सकते हैं। समूह के गठन में बीपीएल परिवार के लोगों मुख्यतः महिलाओं को शामिल किये जाने पर अधिक बल दिया जाता है। एक स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए खण्ड विकास कार्यालय द्वारा 10000 रु की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। समूह की महिलाये लोकतांत्रिक प्रकिया के तहत अपने समूह का अध्यक्ष चुनती है। इनका मुख्य कार्य अपने गांव में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाना है अथवा परिवर्तन हेतु सेतु का निर्माण करना है। जिसके लिए वे सहयोग की भावना,बचत की भावना, वितीय संस्थाओं से ऋण लेकर उद्यमिता विकास इत्यादि कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं।

स्वयं सहायता समूह के निम्नलिखित उद्देश्य है–

1. समूह के सफल संचालन हेतु समूह के लिए एक नियमावली का निर्माण करना।
2. निम्नवर्ग को आर्थिक रुप से आत्मानिर्भर बनाने हेतु बचत की भावना को प्रोत्साहन देना ।
3. समूह के सदस्यो मे एकता एंव संगठन की भावना विकसित करना।
4. जातिवाद की भावना से ऊपर उठकर सभी लोगों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

कोई भी स्वयं सहायता समूह,जिसका गठन कुछ विशेष उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। अपने उद्देश्यों? के अनुसार एक समूह आर्थिक समूह या सामाजिक समूह हो सकता है।

जब किसी स्वंय सहायता समूह का गठन मूलतः उसके सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं कि पूर्ति हेतु किया जाता है तो उसे आर्थिक स्वंय सहायता समूह कहते है, कही–कही लोग इसे बचत एंव ऋण समुह भी कहते है

इसी प्रकार जब समूह का गठन सदस्यो की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा सामाजिक विकास के लिए किया जाता है तो ऐसे स्वंय सहायता समुहों को सामाजिक सहायता समूह कहा जाता है

प्रस्तुत शोध पत्र को हमने स्वंय सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र मे महिलाओं की आर्थिक स्थिति के उत्थान मे योगदान पर केन्द्रित रखा है । अतः हमने ग्रामीण व्यवस्था की आत्मनिर्भरता को परखने के लिए कुछ प्रारम्भिक मानदण्ड स्थापित किये ताकि इस आधार पर हम यह जान सकें कि क्या वास्तव मे स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन लाया है या विमिन्न अध्ययनों मे दी गई जानकारी अप्रर्याप्त है। इसके लिए हमने अध्ययन के समय निम्नलिखित तीन आधारभूत स्तरों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है–

1. आय का स्तर
2. स्वास्थ्य एंव शिक्षा का स्तर
3. विकास योजनाओं मे भागीदारी

तालिका–1 में प्रस्तुत शोध पत्र हेतु लिये गए क्षेत्र में शोधार्थी द्वारा किये गये सर्वेक्षण की जानकारी है । तालिका – 2 में अधिकांश सदस्यों के स्वंय सहायता समूह से जुडने के पीछे की मंशा को दर्शाने का प्रयास किया गया है तथा प्राप्त सूचनाओं व आकडों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकाधिक लोगों का स्वयं सहायता समूहों से जुडने का मूल कारण आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कर अपनी बचत में वृद्धि करना था ।

तालिका–1

क0सं0	ग्राम का नाम	स्वंय सहायता समूह की संख्या	कुल सदस्य
1	सौड़ा सरौली	5	45
2	दौड़ा सरौली	6	54
3	अखोड़ी भिलंगना	4	40
		15	139

स्रोतः क्षे= सर्वेक्षण

तलिका–2

क0सं0	एस0एच0जी0 से जुड़ने का कारण	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिशत
1	ऋण हेतु	6	30
2	बचत हेतु	7	35
3	समाजिक स्तर वृद्धि हेतु	2	10
4	अन्य कारण	5	25
		20	25

स्रोतः क्षे= सर्वेक्षण

आय स्तर में परिवर्तन

सर्वे के दौरान हमने अपने अध्ययन के लिए चुने गाँवो के स्वयं सहायता समूहो से जुड़ी महिलाओं के आय स्तर में आये परिवर्तन को मापने का प्रयास किया । सर्वे के पश्चात प्राप्त आंकड़ो के आधार पर तालिका – 3 का निर्माण किया गया है। इसके लिए हमने अपनी प्रश्नावली में आय को मापने के लिए पांच वर्ग बनाये थे । निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि स्वंय सहायता समूहों से जुड़ने के पश्चात महिलाओं की आय कुछ अवश्य होने लगी है। साक्षात्कार के दौरान ज्ञात हुआ कि अधिकांश सदस्यों ने दुधारू पशु के लिए ऋण लेकर अपनी आय के स्त्रोत को स्थापित करने का प्रयास किया है । गांव मे कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिनकी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पूर्व आय का कोई स्त्रोत नहीं था एंव समूह से जुड़ने के साथ ही अपने लिए आय का स्त्रोत तैयार किया । तालिका से स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह के गठन होने से गाँव की महिलाओं ने सशक्तिकरण की दिशा मे एक कदम अवश्य ही बढाया है और अभी इसके माध्यम से आर्थिक से संबृद्धि की अपार सम्भावना विधमान है ।

तलिका–3 (सदस्यों के आय स्तर में परिवर्तन)

क0 सं0	मसिक आय	एस0एच0जी0 से जुड़ने से पूर्व		एस0एच0जी0 से जुड़ने के बाद	
		प्रतिभागियो की संख्या	प्रतिशत	प्रतिभागियो की संख्या	प्रतिशत
1	*1000 से कम*	01	3.33	0	0
2	*1000–2000 के मध्य*	16	53.56	11	36.63
3	*2000–3000 के मध्य*	06	19.96	09	29.97
4	*3000–4000 के मध्य*	03	*9.99*	08	26.64
5	*नही कमाने*	04	13.32	02	6.66

	वाले				
		30	100	30	100

स्रोतः क्षे= सर्वेक्षण

स्वास्थ्य एंव शिक्षा के स्तर में परिवर्तन

तालिका–4 के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि इन गाँवो मे स्वास्थ्य कार्यक्रमों मे भागीदारी तथा महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधांए जुटाने मे सहायता करने एवं महिलाओं मे इनके प्रति जागरूकता लाने मे स्वंय सहायता समूहो ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है । स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता इत्यादि मे वृद्धि तो हुई है किन्तु वार्तालाप के दौरान एक महत्त्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने यह भी आया कि अभी भी वास्तविक साक्षरता की कमी है, जिसके कारण समूहों के माध्यम से कौशल–विकास उन्नयन की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी नजर आती है । समूहो के कई सदस्य अभी भी 'can't say' (कुछ कह नही सकते) की स्थिति में हैं ।

विकास योजनाओं मे भागीदारी

सामान्यतः यदि हम विभिन्न विकास योजनाओं मे ग्रामीण, महिलाओ की भागीदारी के बारे मे विचार करते है तो पाते हैं कि ग्रामीण महिलाएं जो अभी तक अधिकाशतः घर की चारदीवारी मे ही रहती थी और जो महिलाएं घर से बाहर कृषि कार्य मे पुरूषों का हाथ बंटाती भी थी तो उनके कार्य को कोई महत्व नहीं दिया जाता था किन्तु स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के पश्चात अब घर की आर्थिक स्थिति मे उनके द्वारा किये जाने वाले योगदान को भी महत्व मिलने लगा है और इसी का सकारात्मक परिणाम है कि अब ग्रामीण महिलाएं भी घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सरकारी व गैर सरकारी विकास योजनाओं के बारे मे जानने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहती हैं । इसके अलावा सरकारी व गैर सरकारी संगठनो द्वारा समय–2 पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी ग्रामीण महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी देखने को मिली है । फलतः कहा जा सकता है कि स्वंय सहायता समूहों से जुड़कर, अपनी छोटी–2 बचतों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने विकास योजनाओं मे तो अपनी उपस्थिति दर्ज करायी ही है साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं के सफल संचालन मे भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। उपरोक्त तालिकाओं व उनके विश्लेषण के आधार पर हम देखते है कि दिन–प्रतिदिन विकास योजनाओं मे ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढती ही जा रही है जो एक अच्छी व सफल शुरूआत मानी जा सकती है ।

तलिका–4 (एस0एच0जी0 का सामाजिक–आर्थिक कारकों पर प्रभाव)

क्र0सं0	समाजिक–आर्थिक कारक	अपरिवर्तित है	वृद्धि हुई है	Can't say की स्थिति में	कुल
1	गतिशीलता	10	20	00	30
2	परिवार में मान्यता	10	15	05	30
3	बाहरी व्यक्ति से संवाद	10	18	02	30
4	कौशलता वृद्धि	05	10	15	30
5	स्वास्थय चेतना का विकास	05	25	00	30
6	टीकाकरण के प्रति जागरुकता वृद्धि	08	10	12	30
7	परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरुकता	06	08	16	30
8	विकास कार्यों में भागीदारी	05	22	03	30

स्रोतः क्षे= सर्वेक्षण

निष्कर्ष

अतः इस शोध के तथ्यों का अध्ययन करने से यह तो अवश्य स्पष्ट होता है कि स्वंय सहायता समूह ने ग्रामीण क्षे=ों में विकास कार्यों में जनभागदारी में वृद्धि अवश्य की है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस माध्यम से ग्रामीण भारत में जिस चेतना की कमी नजर आ रही थी,उसे जागृत करने में सफलता मिली है। यद्यपि अभी भी इस क्षे= के क्रियान्वयन का और अधिक मजबूती और इमानदारी से लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *स्वयं सहायता समूहआपकी खेती में एक और फसल,वाणीप्रकाशन,नईदिल्ली, संसकरण:2010*
2. *Innovative Practices; India Connecting in Small Scale Farmer with Dynamic market: a case Study of Supply Chain in Uttrakhand, GhyurAlam and Dipti Varma,Sept-2007.*
3. *Social Sciences Method for Imperial Data collection and Analysis, Denniz Donmez, 2015*
4. *International Research journal of Social Sciences, ISSN 2319 5365, vol-2,Sepy 2013,page-23-25*
5. *Shivalinga P. and Nagraj G.H, Women Empowerment and Gender Equality: A Study, 2011, Southern Economy Journal*
6. *Shrir Mulu.G, Empowerment of women through SHG, Kalpaz Pub.,Delhi,2006*
7. *Shugna B, Empowerment of Rurl women Through Self Help Group, Discovery publishing House, New Delhi, 2011*
8. *Abdul Rahim A., Women Empowerment through SHGs, New Century Pub.*
9. *स्वयं सहायता समूह गठन के लिए प्रशिक्षकों हेतु मार्गदर्शिका, ग्रामीण डेवलपमेण्ट सर्विसेज,लखनऊ*
10. *संगठन से सशक्तता की ओर– जलागम प्रबन्धन निदेशालय,देहरादून,उत्तराखण्ड*
11. *महिला सशक्तिकरण(प्राविधान,प्रयास एंव अपेक्षाएं) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,शंकरपुर,देहरादून,2014*